झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं. **775/2014**

राम प्रवेश यादव

याचिकाकर्ता

बनाम

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची अपने अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के माध्यम से
2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची
3. महाप्रबंधक, राजहरा क्षेत्र, चंदवा, पलामू
4. कर्मचारी अधिकारी (पी एंड ए), राजहरा क्षेत्र, पलामू

विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए: श्री समवेश भंज देव, अधिवक्ता

सुश्री सतक्षी, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए: श्री अनूप कुमार मेहता, अधिवक्ता

श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

04/08.01.2024 : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका में 18.11.2013 की पत्र (अनुबंध) को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 5 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि वह 31.12.2013 से सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवा पुस्तक में दर्ज जन्म तिथि 18.12.1953 है, जबकि याचिकाकर्ता के मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि 30.03.1959 है।

याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं से यह निर्देश भी मांग रहा है कि जन्म तिथि को शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार 30.03.1959 के रूप में बदला जाए, न कि 18.12.1953 के रूप में, और उस

अवधि के लिए वेतन बकाया जारी किया जाए जब वह वास्तविक तिथि से पहले अपनी जबरन सेवानिवृत्ति के कारण सेवा से बाहर रहे।

3. मामले के तथ्य यह हैं कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को 18.12.1975 को विरोधी पक्ष बीसीसीएल के गोरे मैग्नेटाइट परियोजना में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उक्त गोरे मैग्नेटाइट को 01.10.1986 को विरोधी पक्ष सीसीएल द्वारा अधिग्रहित किया गया और इस प्रकार, याचिकाकर्ता की सेवाएँ बीसीसीएल के गोरे मैग्नेटाइट के अन्य कर्मचारियों के साथ केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन आ गईं और याचिकाकर्ता विरोधी पक्ष सीसीएल का स्थायी कर्मचारी बन गया। याचिकाकर्ता का यह विशेष मामला है कि उसकी नियुक्ति से पहले उसने वर्ष 1973 में मैट्रिक पास किया था और मैट्रिकका प्रमाण पत्र उसकी जन्म तिथि 30.03.1959 के रूप में दर्शाता है, हालाँकि, आईडी कार्ड में उसकी जन्म तिथि 30.02.1959 के रूप में दिखाई गई थी। इसके बाद, उसने आईडी कार्ड में दर्ज उसकी जन्म तिथि के संबंध में आपत्ति उठाई, लेकिन उत्तरदाताओं ने उसे समझाया कि यह एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण हुआ है क्योंकि कैलेंडर में 30 फरवरी की कोई तिथि नहीं होती है और इस प्रकार, उसे आश्वासन दिया गया कि इसे सुधार दिया जाएगा और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को यह विश्वास था कि उसकी जन्म तिथि 30.03.1959 के रूप में मान ली जाएगी। हालांकि, उसे आश्चर्यचकित करते हुए, उसे 18.11.2013 की एक पत्र प्राप्त हुई जो विरोधी पक्ष संख्या 5 द्वारा जारी की गई थी, जिसमें सूचित किया गया था कि वह 31.12.2013 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष ने उसकी जन्म तिथि 18.12.1953 दर्ज की है, जिससे उसकी आयु 18.12.1975 को 22 वर्ष मानी गई है, अर्थात् नियुक्ति की तिथि।

इन मजबूर करने वाली परिस्थितियों के साथ, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख किया है।

4. याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के अनुसार, मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र को जन्म तिथि दर्ज करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा ध्यान में लिया जाना चाहिए। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विरोधी पक्ष के लिए यह अनिवार्य था कि वे याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को उस प्रमाण पत्र में उल्लिखित अनुसार सही करें। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि विरोधी पक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया, याचिकाकर्ता अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो गए, जिसके लिए उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए, विरोधी पक्ष को निर्देश

दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को सेवा अभिलेखों में मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार बदलें और शेष सेवा अवधि के लिए याचिकाकर्ता को लाभ प्रदान करें।

5. इसके विपरीत, एक प्रतिवाद हलफनामा दायर किया गया है। विरोधी पक्ष के लिए उपस्थित विद्वान वकील, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के तर्क का विरोध करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका में शामिल मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। कई न्यायालयों के निर्णयों में यह तय किया गया है कि सेवा के अंत में जन्म तिथि में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता और कर्मचारी सेवा के अंत में जन्म तिथि में किसी भी सुधार करने से रोक दिए जाते हैं। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के बाद, याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तक खोली गई, जिसमें उसकी जन्म तिथि 18.12.1953 के रूप में दिखाई गई, जिससे उसकी आयु 18.12.1975 को 22 वर्ष मानी गई। याचिकाकर्ता ने इस पर अपने हस्ताक्षर करके इसे सही मान लिया। यहां तक कि पूरी सेवा अभिलेख में भी उसकी जन्म तिथि 18.12.1953 दर्ज थी और याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार किया और कभी भी इस संबंध में अधिकारियों से सुधार के लिए संपर्क नहीं किया। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से संपर्क केवल 37 वर्षों से अधिक सेवा देने के बाद किया है और इस प्रकार, रिट याचिका को देरी और असावधानी के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

6. पक्षों के लिए विद्वान वकील की सुनवाई करने के बाद और सभी रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निम्नलिखित कारणों से:

(i) याचिकाकर्ता ने जन्म तिथि के संबंध में विवाद को पहली बार वर्ष 2014 में उठाया, अर्थात् सेवानिवृत्ति के बाद, मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर, जबकि उसकी नियुक्ति वर्ष 1975 में ही हुई थी, अर्थात् लगभग 38 वर्षों की अवधि के बाद।

(ii) याचिकाकर्ता का यह दावा कि सुधार कार्यान्वयन निर्देश संख्या 76 के अनुसार किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, इस आधार पर कि उसने बिना किसी आपत्ति या विरोध के 37 वर्षों से अधिक सेवा दी है और पहली बार वर्ष 2014 में उसने अपनी जन्म तिथि के संबंध में विवाद उठाया। पक्षों द्वारा किया गया कोई भी समझौता वैधानिक बल रखता है और एक बार जब पक्षों ने समझौते में सहमति व्यक्त कर दी, तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

(iii) इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले "संघ भारत बनाम हरनाम सिंह" में, जो (1993) 2 एससीसी 162 में रिपोर्ट किया गया है, कहा कि "कोई न्यायालय या ट्रिब्यूनल उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों को नजरअंदाज करते हैं।"

(iv) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड एवं अन्य बनाम टी.टी. मुरली बाबू" मामले में, जो (2014) 4 एससीसी 108 में रिपोर्ट किया गया है, निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"इस प्रकार, देरी और असावधानी का सिद्धांत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक रिट न्यायालय को प्रस्तुत स्पष्टीकरण का मूल्यांकन करना आवश्यक है और इसकी स्वीकार्यता पर विचार करना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में, इसका कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही यह इस प्राथमिक सिद्धांत के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि जब एक पीड़ित व्यक्ति, बिना उचित कारण के, अपनी मर्जी और सुविधा से न्यायालय का रुख करता है, तो न्यायालय पर कानूनी दायित्व होता है कि वह यह जांचे कि क्या विवाद को विलंबित अवस्था में स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि देरी न्याय के मार्ग में बाधा डालती है। कुछ परिस्थितियों में देरी और असावधानी घातक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में अत्यधिक देरी केवल उस याचिकाकर्ता के लिए आपदा को आमंत्रित करती है जो न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देता है। विलंब एक वादी की ओर से निष्क्रियता और अनियंत्रण को दर्शाता है। एक वादी जिसने बुनियादी मानदंडों को भूल गया है, अर्थात्, "टालमटोल समय का सबसे बड़ा चोर है"दूसरा , "कानून किसी को सोने और फीनिक्स की तरह उठने की अनुमति नहीं देता।देरी खतरा लाती है और विवाद को चोट पहुंचाती है। इस मामले में", हालांकि न्यायालय का रुख करने में चार वर्षों की देरी हुई है, फिर भी रिट न्यायालय ने इसे संबोधित करने का विकल्प नहीं चुना। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह जांचे कि क्या इतनी बड़ी देरी को बिना किसी औचित्य के नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, ऐसी विलंबित प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तरदाता कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के - प्रति पूरी तरह से लापरवाह था और कुछ प्रकार की बीमारी के बहाने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। हम दोहराते हैं कि ऐसी देरी से अनजान रहना न्याय के*

कारण को बढ़ावा नहीं देता। इसके विपरीत, यह अन्याय लाता है, क्योंकि यह दूसरों पर प्रभाव डालने की संभावना रखता है। ऐसी देरी दूसरों के परिपक्व अधिकारों पर प्रभाव डाल सकती है और अनावश्यक रूप से दूसरों को मुकदमेबाजी में खींच सकती है जो संभाव्यता के स्वीकार्य क्षेत्र में अंतिमता प्राप्त कर चुकी हो सकती है।एक न्यायालय से ऐसी आलसी व्यक्तियों को छूट देने की अपेक्षा नहीं की जाती जो -'कुम्भकर्ण' या 'रिप वैन विंकल' के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे विचार में, ऐसी देरी किसी भी छूट की योग्य नहीं होती और केवल इसी आधार पर रिट न्यायालय को याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए था।"

(v)माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह निर्णय दिया है कि सेवा करियर के अंत में जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य बनाम टी.वी.वेंगोपालन के मामले में, रिपोर्ट (1994) 6 एससीसी 302 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस विचार पर था कि सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा करियर के अंत में जन्म तिथि को सही करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित अवलोकन किया:

".... सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी जन्म तिथि को सेवा रजिस्टर में सही घोषित किया है, उसे अपने सेवा करियर के अंत में सेवा रजिस्टर में प्रविष्टियों की सहीता के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(vi) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव और आयुक्त, गृह विभाग एवं अन्य बनाम आर. किरुबाकरण के मामले में, जो (1994) सुप्प्ल. (1) एससीसी 155 में रिपोर्ट किया गया है, निम्नलिखित निर्णय दिया:

"7. जन्म तिथि के सुधार के लिए आवेदन [एक सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा] उसके सेवा के अंत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी ऐसे सुधार के लिए निर्देश का एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव होता है, क्योंकि इसके कारण अन्य लोग जो वर्षों से उनके संबंधित पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभावित होते हैं। कुछ लोग अपूरणीय नुकसान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जन्म तिथि के सुधार के कारण संबंधित अधिकारी कुछ मामलों में वर्षों तक कार्यालय में बने रहते हैं, जिसके दौरान कई अधिकारी जो उसकी वरिष्ठता में नीचे हैं और अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमेशा के लिए

अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। ... हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे न्यायालय या ट्रिब्यूनल को एक सार्वजनिक कर्मचारी की जन्म तिथि के सुधार के संबंध में उसकी शिकायत की जांच करते समय नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, जब तक उत्तरदाता द्वारा ऐसे स्पष्ट मामले का निर्माण नहीं किया जाता है जो सामग्री के आधार पर निर्णायक हो सके, तब तक न्यायालय या ट्रिब्यूनल को कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए, जो ऐसी दावों को केवल संभाव्य बनाता है। किसी भी ऐसे निर्देश को जारी करने से पहले, न्यायालय या ट्रिब्यूनल को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक अन्याय हुआ है और उसकी जन्म तिथि के सुधार का दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी भी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया है। ... गलत तरीके से उसकी जन्म तिथि का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का बोझ आवेदक पर है।"

(vii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी एवं अन्य के मामले में, जो (2000) 2 एससीसी 455 में रिपोर्ट किया गया है, पुरानी दावों से संबंधित मुद्दे पर यह निर्णय दिया है कि विवाद का संदर्भ विलंबित अवस्था में देना कानून की दृष्टि से गलत है, दोनों ही देरी के आधार पर और औद्योगिक विवाद के न होने के आधार पर।

(viii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा, इस न्यायालय ने अजीत सिंह बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर के मामले में, जो रिट याचिका (एल) संख्या 1251/2010 में निर्णयित हुआ, यह कहा कि *यदि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों को नजरअंदाज करते हैं और सतर्क नहीं रहते हैं, तो न्यायालय उनकी सहायता करने या राहत देने में असमर्थ होता है केवल इसलिए कि वे नियमों के प्रति अनजान थे।*

7. उपरोक्त अवलोकनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, कानूनी प्रस्तावों और न्यायिक निर्णयों के अनुक्रम में, यह रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे इस प्रकार खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन. पाठक**)**

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|